उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-111/2019/3732/30-3-2019
लखनऊ दिनांक 07 सितम्बर, 2019
कार्यालय-आदेश

श्री सुधेश तिवारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) फर्रूखाबाद के विरूद्ध अवैध वसूली एवं भ्रष्टाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों के क्रम में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-3730/तीस-3-19, दिनांक 07.09.2019 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है, जिसके दृष्टिगत श्री तिवारी को तात्कालिक प्रभाव से परिवहन आयुक्त कार्यालय से एतद्द्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2- श्री सुधेश तिवारी उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेगें।

ह०/-
अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या-111/2019/3732(1)/तीस-3-2019,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
(2) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) संबंधित कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी
(5) समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) उ०प्र०।
(6) संभागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर।
(7) संबंधित अधिकारी।
(8) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।